न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–37 / 2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. रामकन्या पत्नि भैरूलाल जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

बनाम

–प्रार्थीया

1. गोपाल पिता भैरूलाल जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
2. बदरीलाल पिता भैरूलाल जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
3. प्रेम पुत्री भैरूलाल जाति गाली आयु क्यस्क निवासी पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
4. चान्दीबाई पत्नि भैरूलाल जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
5. देवीलाल पिता भैरूलाल जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाडा (राज०)
7. उप पंजीयक, भीलवाडा (राज०)

– विपक्षीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (क) व 188 रा०टि०एक्ट
बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि०एक्ट

अधिवक्तागण–

1. श्री श्रवण कुमार सेन प्रार्थी अधिवक्ता
2. श्री विकास जायसवाल अप्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 6/8/2025

प्रार्थिया की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन द्वारा दिनांक 27.07.2022 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर क्रम संख्या 37 / 2022 पर दर्ज किया गया। प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

प्रार्थीया एवं विपक्षीगण का पारिवारीक सजरा निम्न प्रकार हैः–

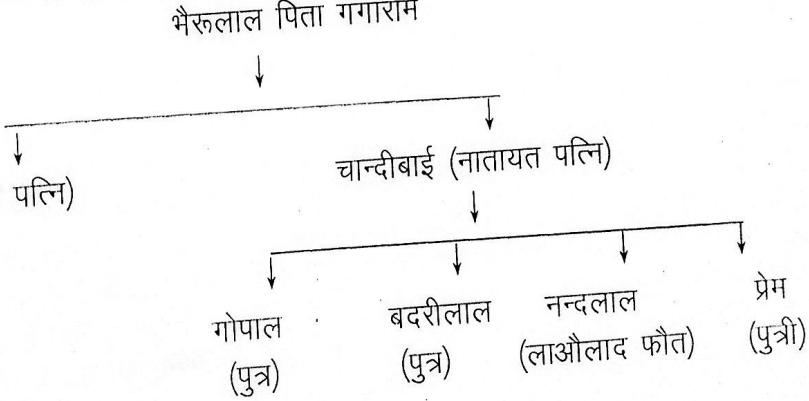

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थिया एवं विपक्षीगण के मध्य विवादग्रस्त कृषि आराजियात 6582, 6589, 6591, 6592 कुल किता 04 कुल रकबा 1.2391 हैक्टयर भूमि ग्राम पुर प०ह० पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०) में स्थित है।

प्रार्थिया रामकन्या के पति भैरूलाल आत्मज गंगाराम ने अपने जीवन काल में मुझ प्रार्थिया रामकन्या से विवाह किया था, जिनके संसर्ग से प्रार्थिया के 01 पुत्र देवीलाल हुआ, उसके पश्चात् भैरूलाल ने विपक्षी संख्या 04 चान्दी बाई से दूसरा नाता विवाह कर लिया व उसके संसर्ग से 03 पुत्र गोपाल, बदरीलाल, नन्दलाल व 01 पुत्री प्रेम हुई, इस प्रकार भैरूलाल के 02 पत्नियां, 04 पुत्र एवं 01 पुत्री हुई. नन्दलाल लाऔलाद फौत हो गया, इस प्रकार भैरूलाल के कुल 06 वारीस रहे, भैरूलाल की मृत्यु के बाद ग्राम पुर प०ह० पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०) की आराजियात 6582, 6589, 6591, 6592 कुल किता 04 कुल रकबा 1.2391 हैक्टयर एवं अन्य आराजियात का पटवारी हल्का द्वारा विरासत का जो नामान्तकरण खोला गया, उसमे भैरूलाल के 04 पुत्र गोपाल, बदरीलाल, देवीलाल, नन्दलाल एवं नातायत पत्नि चान्दीबाई का ही नाम दर्ज किया गया, भैरूलाल की विरासत में विवाहिता पत्नि रामकन्या एवं पुत्री प्रेम का नाम दर्ज नहीं किया गया, नन्दलाल ला–औलाद फौत हो जाने से नन्दलाल की विरासत में भी प्रार्थिया रामकन्या का नाम दर्ज नहीं किया गया, नन्दलाल की विरासत में केवल विपक्षी संख्या 01 से 05 का ही नाम दर्ज किया गया जबकि प्रार्थिया रामकन्या भैरूलाल की वैध विवाहिता पत्नि है जिनका अपने पति भैरूलाल की सम्पति में अन्य वारीसान के साथ बराबर हक व अधिकार है तथा अपने हक व हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व कास्त करती आ रही है, लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में मुझ प्रार्थिया के पति भैरूलाल की सम्पति में राजस्व कर्मचारियो की घोर लापरवाही की वजह से प्रार्थिया रामकन्या जो कि भैरूलाल की वैध विवाहिता पत्नि है, का नाम विरासत में दर्ज नही किया गया, इसलिए प्रार्थिया ग्राम पुर प०ह० पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०) की आराजियात 6582, 6589, 6591, 6592 कुल किता 04 कुल रकबा 1.2391 हैक्टयर भूमि में विपक्षी संख्या 01 से 05 के साथ अपना 1/6 हिस्सा दर्ज किया जायें तब तक प्रार्थिया अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी है।

वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थिया का नाम दर्ज नहीं होने से प्रार्थिया ने अपना दर्ज करवाया जाने हेतु विपक्षीगण को कई बार निवेदन किया किन्तु विपक्षीगण टालमटोल करते रहे लेकिन प्रार्थिया का नाम दर्ज नहीं करवाया गया व विपक्षीगण द्वारा राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थिया का नाम दर्ज नहीं होने का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है जिसके लिए विपक्षीगण ने हाल में प्रार्थिया को मौक से बेदखल कर, अन्य व्यक्तियों को वादग्रस्त भूमि अन्तरण करने की धमकी दिनाक 12.06.2022 को दी, जिससे प्रार्थिया को विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है, अतः प्रार्थिया की ओर से विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा, इन्द्राज दूरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

प्रार्थिया के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा सन्तुलन का बिन्दू भी प्रार्थिया के पक्ष में है, चूँकि विवादग्रस्त आराजियात प्रार्थिया के पति भैरूलाल की है जिसकी विरासतीय अधिकार से अपने हक व हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग व कास्त करती आ रही है लेकिन विपक्षीगण द्वारा राजस्व रेकॉर्ड मे प्रार्थिया का नाम दर्ज नहीं होने का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है व प्रार्थिया को मौके से बेदखल कर वादग्रस्त भूमि अन्य व्यक्तियो को अन्तरित करने पर आमादा है. यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थिया को मौके से बेदखल कर वादग्रस्त भूमि अन्य व्यक्तियों को अन्तरित कर दी गई तो अधिकाधिक विवाद उत्पन्न होगा, जिसका मूल्याकन आर्थिक रूप से किया जाना असम्भव है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थिया को ही होगी, अतः प्रार्थिया का प्रथम दृष्टया मामला पूर्ण रूप से साबित है, सविधा सन्तुलन का बिन्दू भी प्रार्थिया के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थिया को ही होगी, अतः मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि०एक्ट का स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि ग्राम पुर की आराजी नम्बर आराजी नम्बर 6582 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, 6589 रकबा 0.1391 हेक्टेयर, 6591 रकबा 0.4046 हैक्टेयर, 6592 रकबा 0.4046 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.2391 हैक्टेयर में प्रार्थिया के 1/6 हिस्सा के उपयोग उपभोग व कास्त करने में विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा व रूकावट न तो स्वयं उत्पन्न करें, न अन्य से करावें, मौके से बेदखल नहीं करें, उक्त भूमि को रहन–बय बक्षीस के माध्यम से अन्तरित व भारित नही करें, विपक्षी सख्या 06 उक्त भूमि के बाबत् नामान्तकरण नही खोले, विपक्षी संख्या 07 उक्त भूमि के अन्तरण बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नही करें, मौके एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

विपक्षी संख्या 05 लगायत 07 का जवाब पेश नहीं होने के कारण दिनांक 08.01.2025 को जवाब बंद किया गया। विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 की ओर से दिनांक 08.01.2025 को जवाब पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि –

भैरूलाल की मृत्यु के बाद जो नामान्तरण खुला है वह सही है विपक्षी संख्या 03 प्रेम पुत्री श्री भैरु लाल माली ने अपने हक हिस्से का हक परित्याग गोपाल, बद्री लाल, देवी लाल व चान्दी बाई के पक्ष में कर दिया था । शेष सजरे को प्रार्थिया स्वयं साबित करावे।

प्रार्थीया ने कभी भी विपक्षीगण से अपना नाम दर्ज कराने के लिए कोई निवेदन नहीं किया एवं ना ही प्रार्थीया को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त है। विपक्षीगण ने कभी भी प्रार्थीया को कोई धमकी नहीं दी है। प्रार्थीया का मौके पर कोई कब्जा है ही नहीं तो धमकी का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

दिनांक 12.06.2022 को कोई घटना कारित ही नहीं हुई। केवल मात्र वाद कारण उत्पन्न करने के लिए ही मनगढन्त घटना बनाई गयी है। मौके पर विपक्षीगण अनवरत निर्विवाद काबिज चले आ रहे है।

मौके पर प्रार्थीया का कोई कब्जा नहीं हैं और न ही प्रार्थीया का उक्त विवादित आराजियात पर कोई हक अधिकार ही हैं। इस कारण प्रार्थीया को कोई अपूरणीय क्षति होने की संभावना नहीं हैं एवं न ही प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता हैं। सुविधा का संतुलन भी विपक्षीगण के पक्ष में है इस कारण खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतः श्रीमान् से सादर निवेदन है कि विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 की ओर से प्रस्तुत जवाब को स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रार्थनापत्र को खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रकरण का गुणवतापुर्ण निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है–

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> – प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया के पति भैरू पिता गंगा राम की कृषि आराजियात थी, जिनकी मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीया के नाम भूमि दर्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रार्थीया भैरूलाल पिता गंगा राम की विवाहिता पत्नी थी और हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत विवाहिता पत्नी का उसके पति की मृत्यु के उपरान्त उसकी संपति में अधिकार स्वतः प्राप्त होता है। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का आधार कार्ड, फोटो पहचानपत्र की प्रति, राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत की है। जिनसे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया भैरू लाल पिता गंगाराम की विवाहिता पत्नी थी। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में प्रमाणित होता है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के जवाब के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया की प्रार्थीया भैरू लाल पिता गंगाराम की विवाहित पत्नी नहीं है जबकि चांदी बाई (अप्रार्थी संख्या 4) भैरू लाल पिता गंगाराम की विवाहित पत्नी है जिसके कारण भैरू लाल पिता गंगाराम की विरासत का नामान्तरण दर्ज करते समय रामकन्या (प्रार्थीया) का नाम दर्ज नहीं किया गया। अतः प्रार्थीया अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रही है।

प्रकरण में मूल वाद में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य के आधार पर अंतिम रूप से यह निस्तारण किया जाना है कि प्रार्थीया भैरू लाल की विधिक उतराधिकारी थी या नहीं। साथ ही न्यायालय का यह विधिक दायित्व है कि वादपत्र के अंतिम निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि में वादिया के हितों एवं अधिकारों का संरक्षण करे। इस प्रकार मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखना न्यायालय का विधिक दायित्व होने से प्रार्थिया के हितों को प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में बखूबी प्रमाणित होता है।

2. <u>सुविधा का संतुलन</u>– प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा है जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं किया गया है। यदि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में अपने हक हिस्से का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण कर देते है तो प्रार्थीया अपने अधिकारों से महरूम हो जाएगी और प्रार्थीया को अनावश्यक रूप से नवीन व्यक्तियों के साथ वाद करने होंगे जिससे वाद बाहुल्यता बढ़ने की पूर्ण संभावना है। अतः प्रार्थीया के हितों को सुरक्षित किये जाने के लिए प्रार्थीया के पक्ष में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अपने हक अधिकारों का परित्याग अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 के पक्ष में कर दिया गया था। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत सजरे के अनुसार यदि देवी लाल रामकन्या (प्रार्थीया) का पुत्र है तो चांदी बाई की पुत्री प्रेम (अप्रार्थी संख्या 3) द्वारा प्रार्थीया के पुत्र के पक्ष में अपने हकों का परित्याग क्यों किया जाता। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत सजरा गलत रूप से पेश किया गया। अतः प्रार्थीया अपने पक्ष में सुविधा के संतुलन का बिन्दु साबित करने में असफल रही है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण में मूल रूप से प्रार्थीया के भैरू लाल पिता गंगाराम की विवाहिता पत्नी होने एवं नहीं होने का प्रश्न निहित है जिसका अंतिम निरतारण तनकी एवं साक्ष्य के उपरान्त ही किया जाना संभव है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादिया के हितों को सुरक्षित रखने तथा वाद बाहुल्यता को बढ़ने से रोका जाना आवश्यक है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में बखूबी साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षति** – प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि यदि अप्रार्थीगण द्वारा भूमि का किसी दीगर व्यक्ति के पक्ष में अन्तरण कर दिया जाता है तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं होगा। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीया के किसी प्रकार के हक अधिकार वादग्रस्त भूमि में निहित नहीं है। अतः प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

प्रकरण में चूंकि वादीया के हितों का निर्धारण होना है जिसका अंतिम रूप से निर्णय तनकी एवं साक्ष्य के उपरान्त ही किया जाना संभव है। अतः यदि भूमि का अंतरण दौराने वाद किसी दीगर व्यक्ति के पक्ष में अप्रार्थीगण द्वारा कर दिया जाता है तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होना स्वाभाविक है।

इस प्रकार प्रार्थीया अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को प्रथम दृष्टया साबित करने में सफल रही। वर्तमान में वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद साक्ष्यवादी की स्थिति में है। अतएवं

–: आदेश :–

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ग्राम पुर की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 6582, 6589, 6591, 6592 कुल किता 04 कुल रकबा 1.2391 हैक्टयर भूमि में कुल हक हिस्से में से 1/6 हक हिस्से तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी संख्या 6 वादग्रस्त भूमि में 1/6 हक हिस्से तक राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे तथा अप्रार्थी संख्या 7 किसी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

6/6/2025

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा